

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2014

सा.का.नि. 512(अ).—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार आंध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पंचम संशोधन नियमावली, 2014 कहा जा सकेगा।
- (2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 की अनुसूची-II में :—
  - (i) भाग-क में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों में-
  - (क) प्रथम कॉलम में आने वाली 'आंध्र प्रदेश' प्रविष्टि के लिए तथा दूसरे कॉलम में तदनुरूपी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

## "आंध्र प्रदेश

मुख्य सचिव	80000 रु. (नियत)
अपर मुख्य सचिव	80000 रु. (नियत)
प्रधान सचिव/ प्रधान सचिव-सह-आयुक्त	एचएजी वेतनमान- 67000 रु. (वार्षिक वेतन वृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000 रु.
सचिव, सरकार	पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000 रु.
सचिव-सह-आयुक्त	पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000 रु.",

- (ख) प्रथम कॉलम में आने वाली "तमिलनाडु" प्रविष्टि और द्वितीय कॉलम में तदनुरूपी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतः स्थापित किया जाएगा, नामतः—

## "तेलंगाना

मुख्य सचिव	80000 रु. (नियत)
अपर मुख्य सचिव	80000 रु. (नियत)
प्रधान सचिव/ प्रधान सचिव-सह-आयुक्त	एचएजी वेतनमान- 67000 रु. (वार्षिक वेतन वृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000 रु.

सचिव, सरकार	पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000 रु.
सचिव-सह-आयुक्त	पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000 रु.",

(ii) भाग ख में वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ता वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में वेतन वाले पदों से संबंधित, तालिका में,-

(क) "आंध्र प्रदेश" के अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

सचिव, सीसीएलए
क्लेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
ज्वाइंट क्लेक्टर
पीओ, आईटीडीए/पीडी, डीआरडीए/सीईओ, जेडपी
संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त-वाणिज्यिक कर
मुख्य राशन अधिकारी
निदेशक
सरकार के अपर/संयुक्त/उप सचिव

(ख) "तमिलनाडु" प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित को रखा जाएगा, नामतः-

"तेलंगाना

सचिव, सीसीएलए
क्लेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
ज्वाइंट क्लेक्टर
पीओ, आईटीडीए/पीडी, डीआरडीए/सीईओ, जेडपी
संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त-वाणिज्यिक कर
मुख्य राशन अधिकारी
निदेशक
सरकार के अपर/संयुक्त/उप सचिव".

[फा. सं. 11031/6/2014-अ.भा.से.-II(ख)]

दिवाकर नाथ मिश्रा, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी:- प्रधान नियम भारत के असाधारण राजपत्र में दिनांक 20.03.2008 की सा.का.नि. सं. 213(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए जिसे बाद में निम्नलिखित सा. का. नि. संख्याओं एवं तारीखों द्वारा संशोधित किया गया।

क्रम सं.	सा.का.नि. सं.	प्रकाशन की तारीख	क्रम सं.	सा.का.नि. सं.	प्रकाशन की तारीख
1	665(अ)	19.09.2008	18	899(अ)	09.11.2010
2	123(अ)	15.04.2009	19	954(अ)	06.12.2010
3	542(अ)	21.07.2009	20	920(अ)	30.12.2011
4	572(अ)	13.08.2009	21	922(अ)	30.12.2011
5	820	12.11.2009	22	94(अ)	16.02.2012
6	72(अ)	10.02.2010	23	115(अ)	28.03.2012

7.	102(अ)	25.02.2010	24	325(अ)	26.04.2012
8.	191(अ)	12.03.2010	25	941(अ)	28.12.2012
9.	298(अ)	08.04.2010	26	55(अ)	31.01.2013
10.	397(अ)	11.05.2010	27	104(अ)	18.02.2013
11.	404(अ)	13.05.2010	28	602(अ)	06.09.2013
12.	413(अ)	17.05.2010	29	604(अ)	06.09.2013
13.	432(अ)	20.05.2010	30	45(अ)	22.01.2014
14.	434(अ)	20.05.2010	31	47(अ)	22.01.2014
15.	451(अ)	26.05.2010	32	302(अ)	29.04.2014
16.	689(अ)	19.08.2010	33	383(अ)	06.06.2014
17.	836(अ)	13.10.2010			